हरियाणा सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अक्तूबर, 1995

सं० सा० का० नि० 85/संवि०/अनु० 309/95.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, हरियाणा राजस्व विभाग मण्डलीय अधीनस्थ (ग्रुप-घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग-I- सामान्य

1. ये नियम हरियाणा राजस्व विभाग मण्डलीय अधीनस्थ (ग्रुप-घ) सेवा नियम, 1995 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम ।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

(क) "आयुक्त" से अभिप्राय है, सम्बन्धित राजस्व मण्डलीय आयुक्त ;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) "रोजगार विभाग" से अभिप्राय है कि हरियाणा राज्य में स्थित रोजगार कार्यालय ;

(घ) "वित्तायुक्त" से अभिप्राय है, वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग ;

(ङ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(च) "संस्था" से अभिप्राय है,

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राजस्व विभाग, मण्डलीय अधीनस्थ (ग्रुप घ) सेवा ;

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा, भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

भाग–II–सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट "क" में बताए गए पद होंगें ;

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पद नामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता अधिवास तथा चरित्र ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीका देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ;

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारतीय सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रवि[ष्ट] किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र, और ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे ।

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

आयु ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले की तिथि को, जनवरी के प्रथम दिन को या उससे पहले सोलह वर्ष की आयु से कम या पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो ।

नियुक्ति प्राधिकारी ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सम्बन्धित मण्डलीय आयुक्त द्वारा की जाएंगी ।

योग्यताएं ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा, में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में, उनके लिए, आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उमीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो । ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे ।

अयोग्यताएं ।

8. कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नि वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नि के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का ढंग ।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी .—

(क) दफ्तरी तथा जमादार की दशा में—

(i) आयुक्त कार्यालय के सफाई कर्मचारी सेवादारों, चौकीदार, माली-कम-गार्डन कुली, धोबी और खलासी में से पदोन्नति द्वारा, अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा, भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) स्वीपर, सेवादार, चौकीदार, माली-कम-गार्डन कुली, वाटरमैन तथा खलासी की दशा में---

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी केवल ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति का हकदार नहीं होगा।

परिवीक्षा। 10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा ; परन्तु---

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी।

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर, व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण सन्तोषजनक न रहा हो तो वह,---

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,---

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसे सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।

तीन
सेवा
अल
द्वार
ज्ये

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी--

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य तथा आचरण सन्तोषजनक रहा हो तो---

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिविक्षा अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक न रहा हो तो--

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित पर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

11. सेवा में सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी : ज्येष्ठता ।

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यता क्रम परिवर्तित नहीं किया जाएगा :

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी :--

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य) से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नति या स्थानान्तरित किए गए थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरर्ण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा, जो अपनी पहले की नियुक्त में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर की समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उसके सेवा-कार्य के अनुसार, और यदि वसेवा-काल भी समान हो तो आयु में वड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

12. (1) सेवा का कोई सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने लिए आदेश दिए जाने हर ऐसा करने के लिए दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है –

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ड या अभिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, या नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्र ण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, सेस्वायत्त निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकार निकाय ;

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियम तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाए ।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा में सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा नियन्त्रित होंगे : अनुशासन शास्तियां तथा अपीलें ।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियम के उबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वहीं होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में बताया गया हों ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करें, टीका लगवाएगा या पुनः टीका लगवाएगा । टीका लगवाना ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी । राजनिष्ठा की शपथ ।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिख कर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है । ढील देने की शक्ति ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझें, तो वह ऐसा कर सकता है; । विशेष उपबन्ध ।

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस उम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी । आरक्षण ।

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी उमय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

20. पंजाब राज्य (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1963, तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरिसन किए जाते है ; निरसन तथा व्यावृत्ति ।

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कारवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा कीगई कारवाई समझी जायेगी ।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्र० सं०	पदों का नाम	पदों की संख्या: अम्बाला			रोहतक			गुड़गांव			हिसार			जोड़	वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	स्थायी	अस्थायी	जोड़	स्थायी	अस्थायी	जोड़	स्थायी	अस्थायी	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
1	दफ्तरी	1	..	1	..	1	1	..	1	1	1	..	1		800—15—1,010—द० रो०—20—1150 रुपये
2	जमादार	1	..	1	..	1	1	..	1	1	1	..	1		800—15—1010 द० रो०—20—1,150 रुपये
3	स्वीपर	2	..	2	..	2	2	..	2	2	2	..	5		750—12—870—द० रो०—14—940 1,165 रुपए विशेष वेतन

													वेतन
4 सेवादार	5	..	5	5	5	5	..	5	5	5	..	5	750—12—870—द० रो०—14—940 रुपए
5 चौकीदार	1	..	1	..	1	1	..	1	1	1	..	1	750—12—870—द० रो०—14—940 रुपए
6 माली-एवं-गार्डन कुली	2		2	..	2	2	..	2	2	2	..	2	750—12—870—द० रो०—14—940 रुपए
7 पानी वाला	1	..	1	..	1	1	..	1	1	1	..	1	750—12—870—द० रो०—14—940 रुपए
8 खलासी	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	750—12—870—द० रो०—14—940 रुपए

परिशिष्ट ख

[देखिए नियम 7]

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं या अनुभव, यदि कोई हो ।	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो ।
1	दफ्तरी	—	सेवादार, खलासी, स्वीपर, माली एवं गार्डन कुली, वाटरमैन और चौकीदार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव
2	जमादार	—	
3	स्वीपर	हिन्दी का ज्ञान ।	हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए ।
4	सेवादार	1 हिन्दी सहित मिडल पास । 2 उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी ।	1 हिन्दी सहित मिडल पास । 2 उच्च योग्यता वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी ।
5	चौकीदार	1 हिन्दी सहित मिडल पास । 2 भूतपूर्व सैनिक को प्राथमिकता दी जाएगी ।	1 हिन्दी सहित मिडल पास ।
6	माली एवं गार्डन कुली	1 बागवानी का ज्ञान । 2 हिन्दी का ज्ञान ।	1 बागवानी का ज्ञान । 2 हिन्दी का ज्ञान ।
7	पानी वाला	हिन्दी का ज्ञान ।	हिन्दी का ज्ञान ।
8	खलासी	हिन्दी का ज्ञान ।	हिन्दी का ज्ञान ।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम-14(1)]

क्रम संख्या	पद का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियों का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सक्षम प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील अधिकारी यदि कोई हो ।
1	2	3	4	5	6	7
1	दफ्तरी	आयुक्त	1. छोटी शास्तियां—	आयुक्त	वित्तायुक्त राजस्व	सरकार
2	जमादार		(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;			
3	स्वीपर		(ii) परिनिन्दा ;			
			(iii) पदोन्नति रोकना;			
4	सेवादार		(iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी या संगम या व्यष्टिनिकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं जिस का पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मंडल के			
5	चौकीदार					
6	माली एवं गार्डन कुली					
7	पानीवाला					

1	2	3	4	5	6	7
8 खलासी			अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई कोई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली; और (v) वेतन वृद्धियां रोकना; 2. बड़ी शास्तियां— (vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर, अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;	आयुक्त	वित्तायुक्त राजस्व	सरकार

1	2	3	4	5	6	7
			(vii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतयः रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पर पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा ;	आयुक्त	वित्तायुक्त राजस्व	सरकार
			(viii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;			
			(ix) सेवा से हटाया जाना जो सरकार क अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;			
			(x) सेवा से पदच्युति, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए साधारणतः निर्हता होगी			

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम-14(2)]

क्रम संख्या	पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्ति प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी
1	-2	3	4	5	6
1	दफ्तरी	(i) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	—	—	—
2	जमादार				
3	स्वीपर	(ii) सेवा के किसी सदस्य की उसके अधिवर्षिता के लिये नियत आयु के होने से पूर्व अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति	आयुक्त	वित्तायुक्त राजस्व	सरकार
4	सेवादार				
5	चौकीदार				
6	माली एवं गार्डन कुली				
7	पानीवाला				
8	खलासी				

जे० डी० गुप्ता,
सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

भाग – III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 अप्रैल, 2018

संख्या सा0का0नि0 29/संवि0/अनु0 309/2018.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राजस्व विभाग मण्डलीय अधीनस्थ (ग्रुप–घ) सेवा नियम, 1995, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा राजस्व विभाग मण्डलीय अधीनस्थ (ग्रुप–घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा राजस्व विभाग मण्डलीय अधीनस्थ (ग्रुप–घ) सेवा नियम, 1995 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में, ''पैंतीस वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''बयालीस वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

3. उक्त नियमों में, नियम 14 में,–

(i) उप नियम (1) मे,''1987'' अंकों के स्थान पर, ''2016'' अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे ; तथा

(ii) उप नियम (2) में, ''हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम,1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ)'' शब्दो, कोष्ठकों, चिह्नों तथा अंकों के स्थान पर, ''हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ)'' शब्द, कोष्ठक, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

केशनी आनंद अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव तथा वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग ।